ग्राम पंचायत थुलेल, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 प्रस्तावना {क} :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ,थुलेल विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री महिन्द्र सिंह	01-04-14 से 23-01-16
2.	श्री कांशी राम	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्यार चन्द	14-10-09 से 15-12 -16
2.	श्री चुहड सिंह	16-12-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.20
2 .	7	अनुदान राशियों का अवरोधन।	14.25
3.	9	निविदाओं को पूल करना।	2.25
4.	10	निर्माण कार्य में पाई अनियमितताएं बारे।	2.81
5 .	11	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद बारे।	1.99
6 .	12	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे।	2.59

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत थुलेल , विकास खण्ड भटियात , तहसील सिहुन्ता , जिला चम्बा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 31-08-2017 से 06 -09-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय थुलेल में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03 /15 ,09/15 व 04/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 06/14, 07/15 व 10/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत थुलेल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:204 दिनांक 06-09-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत थुलेल से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:- ग्राम पंचायत थुलेल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत थुलेल के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	160582	15816	176398	25527	150871
2015-16	150871	21746	172617	75369	97248
2016-17	97248	15211	112459	33752	78707

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत थुलेल के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	318549	783128	1101677	694250	407427
2015-16	407427	1072337	1479764	1060575	419189
2016-17	419189	2615743	3034932	1609639	1425293
			कुल योग (1+2) ₹78707+₹1425293=		₹1504000

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	HPSCB HATLI	18510103712	618739
2.	----do------	18510105815	1541
3.	PGB HATLI	1299	21976
4.	HDFC DRAMAN	500100169197951	861744
		TOTAL	**₹1504000**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1504000

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹1504000

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत थुलेल की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था lसचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ बही का पास बुकों के साथ मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अपेक्षित था l अत : पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है l अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ वही व बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये l

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा, जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी

। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.20 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹19640 की वसूली शेष थी। इस राशि को शीघ्र वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	---	6480	6480	------	6480
2015-16	6480	6480	12960	------	12960
2016-17	12960	6680	19640	------	19640

7 अनुदान ₹14.25 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1425293** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत थुलेल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।अत : अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए

8 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार पत्थर की 1 0 ट्रालीयों की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु

पत्थर की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः यह मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है। अत: पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल ट्राली दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 **निविदाओं को pool करने बारे:-**

निम्न लिखित बिल/वोउचर कि जाँच करने पर पाया गया कि इनके अन्तर्गत कि गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही है :-

(क) स्व स्त्रोत निधि :

(i)बिल न० 40 माह 7/14 मै० कुसुम इंटरप्राइजेज गग्गल,₹225000 (6 सोलर लाइट)

(1)मै० मै० गर्ग इंटरप्राइजेज गग्गल :- 94181-05257,94599-52153

(2)मै० कुसुम इंटरप्राइजेज गग्गल :- 94181-05257 ,9459-52153

(3)मै० माया इंटरप्राइजेज गग्गल :- 9265650007

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वाउचर के अंतर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया है जिसके कारण उक्त खरीदों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जोकि एक गम्भीर मामला है जिस बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाये।

10 **निर्माण कार्य का नाम :-**लिंक रोड ,मैन रोड से जोगिन्द्र सिंह व बलदेव सिंह के घर तक

बिल सं व दिनांक :- 264 दिनांक 10-06-15

भुगतान राशि :- 280900/-

ठेकेदार का नाम :- मै० नवीन कुमार

उपरोक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य का एस्टीमेट व माप पुस्तिका अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्य के उक्त बिल को सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है ।

(ग) उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया कि उक्त निर्माण कार्यो के बिल से संस्था द्वारा आयकर, व बिक्री कर की राशि की कटौती नहीं की गई है जबकि आयकर के अधिनियम की धारा 194C अनुसार 2.24%आयकर व प्रधान सचिव (आबकारी कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं .EXN –F(5)-1/2010- दिनांक 13-08-12 के

अनुसार 3% की दर से बिक्रीकर निर्माण कार्यो के लिए सविदाकर से कटौती करना अनिवार्य है जोकि संस्थाध्यक्ष द्वारा उक्त निर्माण कार्य के नहीं काटे गए। अत: उक्त निर्माण कार्य के ₹6292 आयकर व ₹8427 बिक्रीकर के उत्तरदायी से वसूल कर सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.99 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹198924** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत थुलेल को अवगत करवाया गया। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय की गई ₹ 2.59 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर **₹258810** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत थुलेल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उत्तरदायी से करके पंचायत निधि में जमा की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम7(1) के अनुसार सचिव द्वारा तैयार रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित किया जायेगा परन्तु अवधि 09/15 से 03/17 तक की मनरेगा निधि की रोकड़ बहि को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित नहीं किया गया था जिसके आभाव में इस अवधि में आय व व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए इन रोकड़ वही को सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत थुलेल को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के

अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

17 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

18 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)8/2017 खण्ड–1–1583–15786 दिनांक 01.03.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत थुलेल विकास खण्ड भटियात जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881